कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

क्र./2009/रा.वि./न.पा.नि./2023 रायगढ़, दिनांक 28.12.23

।। निविदा आमंत्रण सूचना ।।

नगर पालिक निगम, रायगढ़ द्वारा आगामी 03 वर्षों के लिए जोनवार सड़कों के मध्य डिवाईडर पर स्थित ट्यूबलर पोल पर कटआउट विज्ञापन बोर्ड लगाये जाने हेतु पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों से स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक 24/01/2024 को अपरान्ह 05:00 बजे तक बंद लिफाफा में निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र मूल्य रू. 500.00 नगद जमा कर दिनांक 23/01/2024 तक कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किये जा सकते हैं।

निर्धारित समयावधि में प्राप्त निविदायें दिनांक 29/01/2024 को 04:00 बजे कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जावेगी।

निविदा हेतु नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं:–

1. प्रत्येक जोन हेतु दो लिफाफा पद्धति में पृथक–पृथक निविदा प्रपत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा करना होगा।
2. निविदा हेतु निर्धारित अमानत राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।
3. संबंधित विज्ञापन एजेंसी का जी.एस.टी. प्रमाण पत्र (सत्यापित प्रति) संलग्न करना होगा।
4. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पास सुरक्षित होगा। इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
5. विस्तृत निविदा सूचना तथा नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध होंगी तथा वेबसाईट www.nagarnigamraigarh.com पर अवलोकन की जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/2009/रा.वि./नपानि/2023 रायगढ़ दिनॉक 28-12-23

प्रतिलिपिः–

1. मान.महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष/राजस्व प्रभारी नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
3. कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. सहा.जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को आवश्यक प्रचार–प्रसार हेतु सूचनार्थ।
5. कार्यालय अधीक्षक/लेखापाल नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
6. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
7. वेब साईट में अपलोड हेतु।
8. संपादक .... को सूचनार्थ। कृप्या उक्त ऑफर सूचना का प्रकाशन दो कॉलम .... स्पेस में किया जाकर देयक समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित प्रेषित करें।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
रायगढ़ (छ.ग.)

CamScanner

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक ....

।। निविदा की नियम एवं शर्ते ।।

टयूबलर पोल पर लगाये जाने वाले विज्ञापन बोर्ड का विवरण निम्नानुसार है :–

जोन क्र.	जोन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र	निगम द्वारा निर्धारित प्रीमियम (प्रति पोल) राशि रु.	अमानत राशि
1	ओव्हर ब्रिज उपर से अटल चौक, कबीर चौक से उड़ीसा रोड, गोगा राईस मिल से मिठ्ठुमुड़ा रोड़ एवं टांसपोर्ट नगर चौक।	5000.00	1,00,000.00
2	सारंगढ चौक ओव्हर ब्रिज के नीचे से केलो पुल होते हुये चक्रधर नगर चौक से बोईरदादर चौक।	5000.00	1,00,000.00
3	चक्रपथ मरीन ड्राईव दोनो ओर,कलेक्ट्रेट रोड़, एस.ई. सी. एल. रोड़ एवं अतरमुड़ा टी वी टावर रोड़।	5000.00	1,00,000.00
4	लक्ष्मीपुर चौक से ढिमरापुर चौक होते हुये सी.ए.ओ. ऑफिस तिराहा तक तथा इंदिरा नगर से सर्किट हाउस रोड़ तक, एवं सत्तीगुड़ी चौक से कोतरा रोड़ थाना तक।	5000.00	1,00,000.00

नियम व शर्ते :–

1. प्रत्येक जोन हेतु दो लिफाफा पद्धति में पृथक–पृथक निविदा प्रपत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा करना होगा।
2. प्रत्येक जोन हेतु पृथक–पृथक निविदा प्रपत्र एवं निर्धारित अमानत राशि के रूप में रू. 1,00,000.00 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से लिफाफा के अन्दर संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।
3. संबंधित विज्ञापन एजेंसी को जी.एस.टी. एवं ट्रेड लायसेंस प्रमाण पत्र (सत्यापित प्रति) संलग्न करना होगा।
4. नगर पालिक निगम रायगढ़ के संबंधित किसी प्रकार का बकायादार को निविदा में भाग लेने का अधिकार नही होगा ।
5. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पास सुरक्षित होगा। इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
6. निविदा स्वीकृत दर में आगामी वर्षो हेतु 15 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।
7. निविदा स्वीकृति होने पर सफल निविदाकर्ता को सूचना पश्चात एक सप्ताह के अंदर निविदा की 50 प्रतिशत राशि अग्रिम में जमा करना होगा एवं छैः माह पूर्ण होने पर शेष 50 प्रतिशत राशि अग्रिम में जमा करना होगा तथा आगामी वर्ष हेतु 15 प्रतिशत वृद्धि राशि एक वर्ष के अंदर दो समान किश्तों में जमा करना होगा, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
8. नगर निगम, रायगढ़ स्वामित्व के उपलब्धतानुसार टयूबलर पोल पर ही विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति प्रदान की जावेगी एवं निविदा स्वीकृति अनुबंध पश्चात निविदा की अवधि प्रारंभ मानी जावेगी।
9. प्रति पोल पर 02 कटआउट विज्ञापन बोर्ड लगाना होगा जिसका साईज प्रति बोर्ड 6 x 3 की होगी। उक्त संख्या/साईज से अधिक की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
10. विज्ञापन बोर्ड भूतल से 10 फीट की ऊँचाई से ऊपर ही होर्डिंग्स बोर्ड लगाया जाना होगा।
11. छत्तीसगढ़ शासन/कलेक्टर एवं नगर निगम द्वारा जनहित में जारी किये गये विज्ञापन को होर्डिंग्स में लगाना अनिवार्य होगा, जिसके लिये किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क प्रदान नही किया जावेगा।
12. विज्ञापन बोर्ड का फाउण्डेशन, डिजाईन एवं स्टेबिलिटी की जवाबदारी भी आवेदक विज्ञापन एजेन्सी संस्था व उनके इंजीनियर की होगी, जिसकी जाँच नगर निगम के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जावेगा जिसमें एजेंसी एवं ठेकेदार को सहयोग करना होगा।
13. विज्ञापन बोर्ड के ऊपरी एवं निचले भाग पर रेडियम युक्त लाल पट्टी की व्यवस्था विज्ञापन एजेन्सी के द्वारा की जावेगी।

क्रमशः – 02

CamScanner

14. प्रस्तावित चिन्हांकित रिक्त स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थल या किसी निजी भवन/भूमि पर बिना अनुमति होर्डिंग्स बोर्ड लगा पाये जाने पर उसे अवैध मानते हुए संबंधित विज्ञापन एजेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त होर्डिंग्स बोर्ड को निगम द्वारा जब्त कर लिया जावेगा एवं निविदाकर्ता की राशि एवं अमानत राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त की जावेगी, जिस पर निविदाकर्ता को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
15. जिला प्रशासन/पुलिस विभाग या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर आवेदक/विज्ञापन एजेन्सी को जारी की गई अनुमति निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी तथा आवेदक/संस्था द्वारा लगाया गया स्ट्रक्चर एवं विज्ञापन बोर्ड को हटाया जाना बंधनकारी होगा।
16. आकस्मिक/प्राकृतिक दुर्घटना के कारण यदि लगाया गया स्ट्रक्चर एवं विज्ञापन बोर्ड गिरता है तथा इससे जन–धन की हानि होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति आवेदक/विज्ञापन एजेन्सी द्वारा किया जावेगा तथा इससे संबंधित कोई भी दावा आपत्ति, क्षतिपूर्ति/घटना–दुर्घटना इत्यादि के लिये सम्पूर्ण जवाबदेही/जिम्मेदारी आवेदक/विज्ञापन एजेन्सी की ही होगी।
17. जनहित व सुरक्षा की दृष्टि से अथवा सड़क चौड़ीकरण या अन्य आवश्यकता होने पर आवेदक संस्था/विज्ञापन एजेन्सी को जारी अनापत्ति कभी भी निरस्त की जा सकती है, जो कि आवेदक विज्ञापन एजेन्सी को स्वीकार होगी।
18. निविदा स्वीकृति होने पर एक सप्ताह के अंदर सफल निविदाकर्ता को 50/– रूपये का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में अनुबंध निष्पादित करना होगा अन्यथा उक्त निविदा स्वमेव निरस्त समझी जावेगी एवं नवीन निविदा आमंत्रित करने का अधिकार नगर पालिक निगम, रायगढ़ को होगा तथा इसके परिणाम स्वरूप होने वाली समस्त क्षति की वसूली निविदाकर्ता से की जावेगी।
19. स्वच्छता, सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था या जनहित में किसी विज्ञापन बोर्ड को हटाये जाने का पूर्ण अधिकार नगर पालिक निगम, रायगढ़ को होगा ।
20. विज्ञापन बोर्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की न्यायालयीन वाद के लिये संबंधित एजेंसी जिम्मेदार होगा।
21. समय–समय पर शासन, महापौर, आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

CS CamScanner